पत्रांक- 4/मं०स०का०का०(गठन)01/2011(पार्ट-1)....383.. **अनुलग्नक - 2**

बिहार सरकार

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

-:: संकल्प ::-

दिनांक ..18.11.2016........

अर्थ-व्यवस्था को सुदृढ़ करने, कमजोर वर्गो के परिवारों को सहायता दिलाने हेतु तथा राज्य सरकार द्वारा लागू की जा रही विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों के कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु विभिन्न स्तरों पर कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति गठन की व्यवस्था है। जिला स्तरीय कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति के कार्यो को और प्रभावकारी बनाने के उद्देश्य से पूर्व में निर्गत सभी विभागीय संकल्प/अधिसूचना द्वारा की गयी व्यवस्था को अवक्रमित करते हुए राज्य सरकार ने सम्यक् विचारोपरांत निम्नरूपेण जिला स्तरीय कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति के पुनर्गठन तथा तत्संबंधी अन्य व्यवस्था करने का निर्णय लिया है।

2. जिला स्तरीय कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति का गठन निम्नांकित रूप से किया जाता है। समिति के मनोनीत/नामित सदस्यों का कार्यकाल अधिसूचना जारी होने की तिथि से अगले आदेश तक मान्य होगा। इस समिति के निम्नांकित सदस्य होंगे :-

क्रमांक	नाम	पदनाम
1.	जिला के प्रभारी मंत्री	अध्यक्ष
2.	मुख्य मंत्री द्वारा नामित	तीन उपाध्यक्ष
3.	जिला के लोक सभा सदस्य।	पदेन सदस्य
4.	जिला के वैसे राज्य सभा के सदस्य जिनका गृह जिला प्रश्नगत जिला में अवस्थित हो।	पदेन सदस्य
5.	जिला के विधान सभा के सभी सदस्य	पदेन सदस्य
6.	जिला के वैसे विधान परिषद् के सदस्य, जिनका गृह जिला प्रश्नगत जिला में अवस्थित हो।	पदेन सदस्य
7.	जिला परिषद् के अध्यक्ष।	पदेन सदस्य
8.	जिला नगर निगम के महापौर/नगर परिषद्/नगर पंचायत के अध्यक्ष	पदेन सदस्य
9.	मुख्य मंत्री द्वारा नामित 30 सदस्य होंगे, जिनमें अनुसूचित जाति/जनजाति के अलावा अत्यन्त पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं महिला वर्ग के प्रतिनिधि भी अवश्य हों।	सदस्य
10	जिला पदाधिकारी	सदस्य सचिव

3. इसके अतिरिक्त उप विकास आयुक्त, पुलिस अधीक्षक, सभी अनुमंडल पदाधिकारी, सभी जिला स्तरीय प्रशासनिक एवं तकनीकी पदाधिकारी, जिला अग्रणी बैंक के प्रबंधक, जिला में अवस्थित विभिन्न बैंकों के जिला समन्वयक तथा नाबार्ड के डी०डी०एम० पदेन सदस्य होंगे।

3.1. अध्यक्ष (प्रभारी मंत्री) की स्वीकृति से समिति की बैठक प्रत्येक माह में एक बार होगी।

4. यह बैठक दो सत्रों में हागी। पहले सत्र में जिला स्तरीय कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति की वैठक होगी। द्वितीय सत्र में जिला के अंतर्गत प्रखंड स्तरीय कार्यक्रम कार्यान्वयन समितियों के कार्यवाही प्रतिवेदन एवं अनुपालन प्रतिवेदन के साथ प्रखंडों में नियमित बैठक हो रही है या नहीं, इसकी समीक्षा की जाएगी, जिसमें प्रखंड स्तरीय कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पंचायत समिति के अध्यक्ष तथा प्रखंड विकास पदाधिकारी भी भाग लेंगे।

प्रत्येक वैठक में लिए गए निर्णय की जानकारी से, किसी मामले में हुई अनियमितता से अथवा पदाधिकारियों के विरूद्ध कार्रवाइ की अनुशंसा के संबंध में सदस्य सचिव (जिला पदाधिकारी) संबंधित विभाग को प्रतिवेदन सौंपेगे। प्रखंड स्तर पर दिए गए प्रतिवेदन की समीक्षा हेतु जिला स्तर पर एक कोषांग गठित किया जायेगा।

05 DEC 2016
निदेशक, पी० पी० एम० कोषांग
डायरी संख्या....627....
दिनांक....05/12/16....

5. <u>जिला स्तरीय समिति के कृत्य एवं दायित्व</u> :

5.1 राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं तथा केन्द्र प्रायोजित योजनओं की मदवार समीक्षा (अनुलग्नक 'क' पर सरकार द्वारा चलाई जा रही महत्त्वपूर्ण योजनाओं की सांकेतिक सूची संलग्न है)।

5.2 बीस-सूत्री कार्यक्रम की समीक्षा (अनुलग्नक 'ख')।

5.3 राज्य सरकार के सात निश्चय एवं सुशासन के कार्यक्रम 2015-20 के कार्यान्वयन की समीक्षा।

5.4 खाद्य सुरक्षा अधिनियम के क्रियान्वयन की समीक्षा।

5.5 योजना एवं विकास, श्रम-संसाधन, सूचना प्रावैद्यिकी, विज्ञान एवं प्रावैद्यिकी, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग के अंतर्गत जनहित की योजनाएँ।

5.6 लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण, नगर विकास एवं आवास, पंचायती राज, ग्रामीण विकास, ऊर्जा, ग्रामीण कार्य विभाग के अंतर्गत जनहित की सभी योजनाएँ।

5.7 समाज कल्याण, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण, आपदा प्रबंधन विभाग से संबंधित सभी जनोपयोगी योजनाएँ।

5.8 सहकारिता, पशु एवं मत्स्य संसाधन, पर्यावरण एवं वन, लघु जल संसाधन, राजस्व एवं भूमि सुधार से संबंधित जनोपयोगी योजनाएँ।

5.9 उद्योग, पर्यटन, गन्ना उद्योग विभाग से संबंधित जनोपयोगी योजनाएँ।

5.10 पथ निर्माण, ग्रामीण कार्य विभाग, भवन निर्माण विभाग से संबंधित जनोपयोगी योजनाएँ।

5.11 मनरेगा, इन्दिरा आवास एवं आजीविका मिशन के क्रियान्वयन की समीक्षा।

5.12 कृषि रोड मैप अंतर्गत योजनाओं (बैंकों के सहयोग पर आधारित योजनाओं सहित) के कार्यान्वयन की समीक्षा।

5.13 बिहार भू-जल सिंचाई योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा।

5.14 ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं के अलावा ग्रामीण कार्य विभाग के तथा अन्य ग्रामीण पथ एवं पुल-पुलिया से संबंधित योजनाओं की समीक्षा।

5.15 शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पेयजल योजनाओं की समीक्षा।

5.16 वन विस्तार के अलावा हॉर्टिकल्चर मिशन को बड़े पैमाने पर लागू करने की दिशा में पहल।

5.17 बेरोजगारी से निपटने के लिए स्वयं सहायता समूह एवं स्वरोजगार संबंधी योजनाओं के कार्यान्वयन पर विचार।

5.18 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यकों एवं भूमिहीनों को कृषि/ग्रामीण विकास/राजस्व एवं भूमि सुधार द्वारा मिलने वाली सुविधाओं के अलावा इन्हें स्वयं सहायता समूह में संगठित करने की समीक्षा।

5.19 बैंको द्वारा विभिन्न श्रोतों से वित्त पोषित बड़ी-बड़ी योजनाओं की समीक्षा, जिसमें नाबार्ड की आर०आई०डी०एफ० योजना भी सम्मिलित होगी।

5.20 अध्यक्ष महोदय के निदेश पर अन्यान्य बिन्दु।

6. जिला स्तरीय कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति के तीनों उपाध्यक्षों के लिए संयुक्त रूप से एक कमरे का कार्यालय कक्ष उपलब्ध कराया जाएगा। तीनों उपाध्यक्षों की सहायता के लिए संयुक्त रूप में उपलब्ध कार्यबल से ही अंशकालिक रूप से एक डाटा ऑपरेटर अथवा लिपिक तथा एक अनुसेवक की सेवा सदस्य सचिव द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी। इस हेतु कोई नई नियुक्ति नहीं की जाएगी।

7. बैठक में भाग लेने के लिए सरकारी सदस्यों, सांसदों, विधान मंडल के सदस्यों को छोड़कर शेष के लिए दैनिक भत्ता के रूप में ₹200/- (दो सौ रूपये) तथा यात्रा-भत्ता ₹500/- (पाँच सौ पचास रूपये) प्रति बैठक देय होगा। दैनिक भत्ता/यात्रा-भत्ता उन्हें समिति की बैठक में भाग लेने पर ही अनुमान्य होगा।

8. तीनों उपाध्यक्षों को नियत आतिथ्य भत्ता के रूप में ₹1000/- (एक हजार रूपये) मात्र प्रतिमाह देय होगा।

9. जिला स्तरीय कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति के तीनों उपाध्यक्षों को अपने क्षेत्राधिकार के अंदर कार्यक्रम कार्यान्वयन से संबंधित कार्यो के स्थल अध्ययन (यदि आवश्यक हो) हेतु की जाने वाली यात्रा के लिए महीने में एक-एक दिन परिवहन की सुविधा (भाड़े की गाड़ी) एक सप्ताह पूर्व प्राप्त उपाध्यक्षों की अधियाचनानुसार जिला पदाधिकारी द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी।

10. अध्यक्ष के निदेश पर कार्यक्रम के सफल कार्यान्वयन हेतु उप समिति गठित की जा सकेगी, लेकिन इसका कार्य एवं दायित्व किसी विशेष प्रयोजन के लिए ही होगा।

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की सूचना के लिए इसे बिहार राजपत्र में प्रकाशित कराया जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(ब्रजेश मेहरोत्रा) 18/11/16
सरकार के प्रधान सचिव

अनु० :- यथोक्त।

ज्ञापांक-4/मं०स०का०का०(गठन)01/2011(पार्ट-I)383 पटना-15, दिनांक 18.11.2016

प्रतिलिपि - महालेखाकार, बिहार, पटना/सभी मंत्री/राज्य मंत्री/उप मंत्रीगण एवं अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, राज्य स्तरीय कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति को सूचनार्थ प्रेषित।

(ब्रजेश मेहरोत्रा) 18/11/16
सरकार के प्रधान सचिव

I. Sanjeet Ka ka letter doc

ज्ञापांक-4/मं०स०का०का०(गठन)01/2011(पार्ट-I)...383... पटना-15, दिनांक ...18-11-2016...

प्रतिलिपि - मुख्य सचिव/विकास आयुक्त/अध्यक्ष एवं सदस्य, राजस्व पर्षद/मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव/...वव/उप मुख्य मंत्री के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(ब्रजेश मेहरोत्रा) 18/11/16
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक-4/मं०स०का०का०(गठन)01/2011/...383... पटना-15, दिनांक ...18-11-2016...

प्रतिलिपि - सभी विभागीय प्रधान सचिव/सचिव/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी विभागाध्यक्ष/सभी जिला पदाधिकारी/सभी आरक्षी अधीक्षक/सभी जिला के उप विकास आयुक्त को सूचनार्थ।

2. जिला पदाधिकारी अपने अनुमंडल पदाधिकारियों/जिला के तकनीकी पदाधिकारियों को इसकी एक प्रति उपलब्ध करायेंगे। इसी तरह आरक्षी अधीक्षक अपने सभी आरक्षी उपाधीक्षकों को इसकी प्रति उपलब्ध करायेंगे।

(ब्रजेश मेहरोत्रा) 18/11/16
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक-4/मं०स०का०का०(गठन)01/2011(पार्ट-I)...383... पटना-15, दिनांक ...18-11-2016...

प्रतिलिपि - राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि संकल्प का 1000 (एक हजार) प्रतियाँ अविलंब मुद्रित कर इस विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

(ब्रजेश मेहरोत्रा) 18/11/16
सरकार के प्रधान सचिव